सुखदेव पांडे

विरुद्ध

भारत संघ व अन्य

24 अगस्त, 2007

[सी. के. ठक्कर और तरून चटर्जी, न्यायाधीशगण]

सेवा कानूनः

पुनर्नियुक्ति- ईडीबीपीएम डाकिये के रूप में पदोन्नति के लिए चुना गया लेकिन चयन रद्द होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका--इस बीच उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला फाइल हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही के परिणाम में उसे सेवा से निकाल दिया गया- सेवा से निकालने को उच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया-- डाकिये के रूप में बहाली का आदेश दिया गया-- गलती को महसूस करते हुए विभाग द्वारा उसे ईडीबीपीएम के पद पर प्रत्यावर्तन किया-- निर्णित, प्रत्यावर्तन के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है--कर्मचारी कम नहीं करने की अवधि के लिए वेतन के बकाया का हकदार नहीं है --हालाँकि, चूंकि उसने लंबे समय तक डाकिये के रूप में काम किया था, इसलिए उसके डाकिये के रूप में काम करना जारी रखा जा सकता है और उस पद के लिए वेतन दिया जा सकता है, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति पर उसकी पेंशन

ईडीबीपीएम के रूप में तय की जाएगी-- 'काम नहीं, वेतन नहीं' का सिद्धांत--पेंशन।

अपीलार्थी अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर (ईडीबीपीएम) के रूप में कार्य करते हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से डाकिया के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित हुआ, लेकिन परीक्षा आयोजित करने में कुछ अनियमितताओं के कारण पूरा चयन रद्द कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी के खिलाफ दायर आपराधिक मामले के कारण उसे ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में, विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे सेवा से हटा दिया गया। हालाँकि, हटाने सेवा से के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.9.1991 से रिजर्व डाकिया के रूप नियुक्त किया गया। बाद में, अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन उस अवधि के लिए वेतन का बकाया की मांग का किया गया जब उसे ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस बीच जब यह पता चला कि अपीलार्थी को ईडीबीपीएम के रूप में बहाल करने के बजाय गलत तरीके से दिनांक 21.9.1991 के आदेश द्वारा पोस्टमैन के रूप में बहाल किया गया था, जिस पद पर वह कभी नहीं रहा, अंततः दिनांक 7.3.2003 के आदेश द्वारा उसे ईडीबीपीएम के पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया गया। इस आदेश को भी अपीलार्थी ने चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने

दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, तो उसने यह अपील दायर की.

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

1. जहाँ तक अपीलार्थी का अपने ईडीबीपीएम के मूल पद के लिए दावा है, क्योकि हटाने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था, इसलिए वह ईडीबीपीएम के रूप में लाभों का हकदार था। लेकिन उसकी इस परिवेदना पर, कि उसे ईडीबीपीएम के पदोन्नत डाकिये के पद पर निरंतर रखा जाना चाहिए था, कोई बल नहीं है। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को ईडीबीपीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने डाकिये के पदोन्नति संवर्ग के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उक्त चयन को प्रभाव में नहीं लिया गया। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि जब अपीलार्थी की बहाली की जानी थी, तो उसे उसके द्वारा धारण किए गए मूल ईडीबीपीएम पद पर ही बहाल किया जाना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को डाकिये के संवर्ग से ईडीबीपीएम के मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने में प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अवैधता की गई। [पैरा 10 और 12]

डॉ. एम. एस. मुधोल व अन्य विरुद्ध एस. डी. हलेगकर व अन्य [1993] 3 एससीसी 591 को रिलाई किया गया.

2. अपीलार्थी को डाकिया के संवर्ग से उसके ईडीबीपीएम के मूल पद में प्रत्यावर्तित करने के बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की ना काम किया इसलिए किसी भी अदालत द्वारा उनके पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। उसके लिए ईडीबीपीएम के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहा। इसलिए उसे उस अवधि के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा जिसके लिए उसने काम नहीं किया। 'काम नहीं, वेतन नहीं' का सिद्धांत न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है और वैध कारणों के अभाव में, इसे लागू किया जाना चाहिएः [पैरा 17]

3. यद्यपि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय का पुष्टि का आदेश कानून के विपरीत या अन्यथा अवैध नहीं है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, प्रत्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को लगभग पंद्रह साल पहले बहाल किये गए डाकिया पद पर निरंतर रखा जावे। अब उसे डाकिये के पद पर ही रखा जाये। उसे डाकिये का ही वेतन दिया जाएगा, लेकिन चूंकि प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा उसे ईडीबीपीएम के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने की कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुरूप थी, इसलिए अपीलार्थी पेंशन और अन्य लाभों का डाकिया के रूप में नहीं बल्कि ईडीबीपीएम के रूप में हकदार होगा, जिस पद को वह मूल रूप से धारण कर रहा था। [पैरा 16 और 17]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3888/2007

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यू.पी.(एस) 4784/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2006 के विरुद्ध

धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, सुनील किशोर और उमेश चौरसिया- अपीलार्थी की ओर से।

जी.प्रकाश व वी.के.वर्मा- रेस्पोडेंट की ओर से

न्यायालय का निर्णय सी. के. ठक्कर, न्यायाधीश के द्वारा दिया गया.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यू.पी.(एस) 4784/2005 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

3. वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी को वर्ष 1964 में अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर (इसके बाद 'ईडीबीपीएम' के रूप में संदर्भित) के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी से डाकिया और संबद्ध सेवाओं के पदोन्नति संवर्ग (तृतीय श्रेणी) के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित हुआ। 30 अप्रैल, 1969 को

अपीलार्थी को बाईस अन्य उम्मीदवारों के साथ सफल घोषित किया गया और डाकिया और संबद्ध संवर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र घोषित किया गया। लेकिन यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा आयोजित करने में कुछ अनियमितताएं थीं और तदनुसार उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया। नतीजतन, अपीलार्थी को डाकिया के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ डाकिया और संबद्ध संवर्ग के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन और उम्मीदवारों की अनुमोदित सूची की एक सही और शुद्ध प्रति संलग्न की जा चुकी।

4. यह अपीलार्थी का मामला है कि एक देवराज राम, तत्कालीन डाकघर निरीक्षक ने उसके खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 सपठित धारा 469 के तहत दंडनीय अपराध किया। मामले के विचाराधीनता की वजह से अपीलार्थी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दिया। पुलिस ने जाँच के बाद पाया कि अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। 24 अप्रैल 1973 को पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। निरीक्षक डाकघर ने एक विरोध रिपोर्ट दायर की जिस पर फिर से जांच व अनुसन्धान किया गया और फिर 2 सितंबर, 1975 को पुलिस द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे भी अदालत ने स्वीकार कर लिया।

इस बीच, 16 अगस्त, 1973 को उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपीलार्थी को एक विभागीय आरोप-पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ने इस तरह के आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाब दाखिल किया। अपीलार्थी के अनुसार, बिना कोई जांच किए, उन्हें मई, 1977 में मनमाने ढंग से सेवा से हटा दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा दायर एक विभागीय अपील 27 सितंबर, 1977 को खारिज कर दी गई। इसपर उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रांची पीठ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त, 1984 को याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसके रिमूवल के आदेश को रद्द व अपास्त कर दिया। उस स्तर पर भी विभाग ने एक या दूसरे बहाने करते हुए अपीलार्थी को ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। अंततः पोस्टमास्टर (एच. एस. सी.), ग्रिडीह मुख्यालय के आदेश दिनांक 21 सितंबर, 1991 से अपीलार्थी को अस्थायी आधार पर डाकिया के संवर्ग में आरक्षित डाकिया के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद वह इसी पद पर निरंतर कार्य कर्ता रहा। चूंकि अपीलार्थी को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उसने पटना के उच्च न्यायालय के समक्ष बकाया के भुगतान के लिए याचिका सि.रि.जे.सी. संख्या 4305/2000 प्रस्तुत की गयी। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अनुरोध करने का निर्देश दिया।

इसपर अपीलार्थी ने बकाया राशि और अन्य लाभ के लिए का मूल आवेदन संख्या 88/2002 दायर किया।

अपीलार्थी के अनुसार डाकघर अधीक्षक प्रतिवादी संख्या 2 ने काउंटर ब्लास्ट में अपीलार्थी को दिनांक 17 फरवरी, 2003 को कारण दर्शित करने का एक नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं उसे डाकिया के बजाय ईडीबीपीएम के पद पर ज्वाइन करने का आदेश दिया जावे। अपीलार्थी ने 5 मार्च, 2003 को कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए यह उल्लेखित किया कि उन्हें उचित प्रकार से पोस्टमैन के कैडर में रखा गया था जिस पर उसने लगभग बारह वर्ष कम किया और डाकिया के रूप में उनकी बहाली में कोई अनियमितता नहीं थी। फिर भी प्रत्यर्थी सं. 2 ने उत्तर पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना व इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अपीलार्थी ने डाकिया के रूप में एक दशक से अधिक समय तककाम किया, उसे 7 मार्च, 2003 को ईडीबीपीएम के रूप में रिवर्ट/पदावनत कर दिया गया। इसपर अपीलार्थी ने उसके पदावनति के विरुद्ध आवेदन संख्या 78/2003 दायर किया। न्यायाधिकरण ने 21 अप्रैल, 2005 के कॉमन आदेश से दोनों आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने भी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल आवेदनों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, अतः अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. इस न्यायालय द्वारा 1 सितंबर, 2006 को नोटिस जारी किया तदोपरांतमामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया गया था और तदनुसार मामला हमारे सामने है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवाक्तागण को सुना.

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने और उसे लाभ न देने में गलत थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां तक वेतन के भुगतान का संबंध है, अपीलार्थी के पदच्युति का आदेश चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था, अतः वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान का हकदार है। न्यायाधिकरण द्वाराइन परिस्थितियों में, अपीलार्थी द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 88/2002 में मांगी गयी राहत को अस्वीकार करना भी उचित नहीं था। अपीलार्थी की अगली व्यथा यह थी कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय अपीलार्थी को डाकिये के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं देने में गलत थे। वह ईडीबीपीएम के रूप में काम कर रहा था, विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उपस्थित हुआ और अप्रैल, 1969 में इसे पास भी किया। उसका नाम चयन सूची में शामिल था। इसलिए, वह डाकिये के रूप में नियुक्ति का हकदार था। उसे, उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण नियुक्त नहीं किया गया था और जैसे ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे अदालत द्वारा

स्वीकार कर लिया गया, वह बहाली का हकदार था और उन्हें वास्तव में देर से बहाल किया गया। यह आग्रह किया गया कि भले ही चयन प्रक्रिया में अनियमितता रही हो और उक्त परीक्षा में चुने गए व्यक्तियों को डाकिये के पदोन्नति संवर्ग में नियुक्त नहीं किया, चूंकि यह अपीलार्थी की गलती नहीं थी अतः उसके लिए उसे नुकसान नहीं उठाना चाहिए। प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को बहाल किया और उसे डाकिया नियुक्त किया और अपीलार्थी ने एक दशक से अधिक समय तक उक्त पद पर काम किया। इसके बाद उसे ईडीबीपीएम के रूप में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाना चाहिए था जैसा कि 2003 में किया गया। अतः उक्त कार्रवाई अवैध थी और न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने उक्त कार्रवाई को अपास्त नहीं करने में गलती की। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति के कगार पर है और भले ही यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि उसे ईडीबीपीएम के रूप में बहाल किया जाना चाहिए था और गलत तरीके से डाकिये के संवर्ग में रखा गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने वास्तव में अब तक लगभग पंद्रह वर्षों तक डाकिये के रूप में काम किया था और एक छोटी अवधि के भीतर वह सेवानिवृत्त हो जाएगा, मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए अपीलार्थी की वर्तमान स्थिति को ही जारी रखने का आदेश दिया जा सकता है।

8. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में कार्य कर्ता था। उसे सेवा से हटा दिया गया था। यह कहा गया कि इस आदेश को निस्संदेह उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था,उसे बहाल करना था और वास्तव में बहाल करने का आदेश दिया भी गया, लेकिन ई. डी. बी. पी. एम. के बजाय अपीलार्थी को डाकिये के रूप में बहाल करना उत्तरदाताओं की ओर से एक गलती थी, क्यों की उस पद को उसने अपने निष्कासन से पहले कभी संभाला ही नहीं था। यह भी कहा गया कि जब अनियमितताओं के कारण चयन प्रक्रिया को दूषित माना गया था और उक्त सूची में से किसी भी व्यक्ति को डाकिया और संबद्ध संवर्ग के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, तो अपीलार्थी का उस पद पर कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, उन्हें कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, स्पष्टीकरण मांगा गया था और मामले पर विचार करने के बाद, उसे उसके ई. डी. बी. पी. एम. के मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश में कोई अवैधता नहीं है और ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने में सही थे।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. जहाँ तक अपीलार्थी के अपने ई. डी. बी. पी. एम. के मूल पद के दावे का का प्रश्न है, क्योंकि उसके पदच्युति के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था, इसलिए वह ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में लाभों का हकदार था। लेकिन उसकी इस परिवेदना, कि उसे ई. डी. बी. पी. एम. के पदोन्नति डाकिये के पद पर निरंतर रखा जाना चाहिए का प्रश्न है, इसमें कोई बल नहीं है। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को ईडीबीपीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने डाकिया के पदोन्नति संवर्ग के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उक्त चयन प्रभाव में नहीं आया अतःकोई भी उक्त चयन प्रक्रिया में तैयार की गई सूची से लाभ का दावा नहीं कर सकता,जो कि दूषित थी। इसलिए, यह स्वाभाविक ही था कि जब अपीलार्थी की बहाली की गई थी, तो उसे उनके द्वारा धारण किए गए मूल पद ईडीबीपीएम पर ही बहाल किया जाना चाहिए था।

11. इस संबंध में, यह उल्लेखित करना उचित है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इस पहलू पर विचार किया और निम्नानुसार उचित रूप से उल्लेखित किया कि;

"No doubt that the applicant was found fit for promotion to the cadre of Postman vide Annexure A/I, but as made clear in the written statement, that order was withdrawn because of some irregularities. There is nothing on record to show that the withdrawal order was ever rescinded. After order of the Hon'ble High Court, aforesaid when the applicant requested for his re-engagement, the concerned official at Giridih0 keeping in view of the order at Annexure A/I, posted him to the post of Postman, which was not only irregular, but without any legal basis. *It has been admitted that prior to that posting, he had never worked in the cadre of Postman on account of the order at Annexure All. It is obvious, therefore, that the applicant should have been reinstated in the post of EDBPM which he was holding prior to his removal from service".* (emphasis supplied)

12. हमारी राय में न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकलने में भी सही था कि, अपीलार्थी का यह संकथन कि उसने काफी लंबे समय तक डाकिये के रूप में काम किया था, उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसने उक्त पद पर अवैध और अनियमित रूप कम किया था जिसका कि लंबे समय के बाद पता चला। चूंकि उसे उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसे अपने मूल पद पर वापस लाया जा सकता था और प्रतिवादी अधिकारी इस तरह का रास्ता अपनाने में सही थे, विशेष रूप से जब उक्त कार्रवाई प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों के उचित पालन के बाद की गई थी। अपीलार्थी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि उसे अपने मूल पद पर क्यों नहीं लौटाया जाना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसके बाद विवादित कार्रवाई की गई थी। इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी को डाकिये के संवर्ग से ईडीबीपीएम के मूल संवर्ग में वापस करने से, प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अवैधता की गई थी।

13. लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने एक दशक से अधिक समय तक पोस्टमैन के रूप में काम किया है। इस न्यायालय के निर्णय *डॉ. एम. एस. मुधोल व अन्य विरुद्ध एस. डी. हलेगकर व अन्य* [1993] 3 एससीसी 591 पर भरोसा/रिलाई करते हुए, यह तर्क दिया गया कि उक्त स्थिति को जारी रखने का आदेश दिया जा सकता है।

एम. एस. मुधोल में, एक व्यक्ति 'बी' के पास स्कूल में प्राचार्य के पद के लिए चयनित होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। हालांकि, चयन समिति ने उनके दावे पर विचार किया और उन्हें प्राचार्य नियुक्त कर दिया। 'बी' ने लगभग एक दशक तक उस पद पर कार्यरत रहा। 'ए' ने 'बी' के चयन और नियुक्ति को *अधिकार-पृच्छा* रिट कर चुनौती दी। 'बी' की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि उसने इस पद पर काफी समय तक काम किया है, इसलिए उसे इस पद से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए।

14. न्यायालय ने यह भी कहा; "एक निजी विद्यालय, चाहे वो सहायता प्राप्त विधालय हो, में प्राचार्य का पद इतना संवेदनशील सार्वजनिक महत्व का भी नहीं है कि, न्यायालय को अधिकार-पृच्छा रिट के माध्यम हस्तक्षेप कर नियुक्ति देने हेतु खुद को प्रेरित करना चाहिए चाहे ऐसी अधिकार-पृच्छा रिट को पोषणीय हो.

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि *एम. एस. मुधोल* में प्रतिपादित विधि वर्तमान मामले में भी समान बल के साथ लागू होगी क्योंकि डाकिये के संवर्ग को भी इतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी, जो कि जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला है, उसे उस पद से डिस्टर्ब किया जाये और उसे कुछ समय के लिए और जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाये।

16. यद्यपि हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया, कानून के विपरीत या अन्यथा अवैध नहीं है, किन्तु मामले तथ्यों और परिस्थितियों में, हम उत्तरदाताओं को अपीलार्थी को डाकिये के रूप में निरंतर रखने के लिए निर्देश देते हैं, जिस पर उसे आज से लगभग पंद्रह साल पहले बहाल किया गया था।

17. मामले के अंत में हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे। अभिलेख से यह स्पष्ट कि अपीलार्थी को डाकिया के संवर्ग से ई. डी. बी. पी. एम. के मूल पद पर पूर्ववत करने के बाद, उसने ना तो ड्यूटी ज्वाइन की ना ही काम नहीं किया। इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में, उनके लिए ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य था। ऐसा करने में वह विफल रहा। इसलिए हमारा मानना है कि यदि अपीलार्थी ने काम नहीं किया है, तो उसे उस अवधि के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा जिसके लिए उसने काम नहीं किया है। सेवा न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उसे भुगतान किया जाना चाहिए और यदि उसने काम नहीं किया है तो उसे भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 'काम नहीं, वेतन नहीं' का सिद्धांत न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है और इसके विपरीत के वैध कारणों के अभाव में, इसे लागू किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, क्योंकि अपीलार्थी को ई. डी. बी. पी. एम. के रूप में ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए, हमारी राय में, वह उस अवधि के लिए वेतन का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अब उसे पोस्टमैन के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी। उसे पोस्टमैन के रूप में वेतन दिया जाएगा, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि चूंकि प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा उन्हें ईडीबीपीएम के अपने मूल पद पर वापस लाने की कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुरूप थी, इसलिए अपीलार्थी पेंशन और अन्य लाभों का हकदार डाकिया के रूप में नहीं बल्कि ईडीबीपीएम के रूप में होगा, जो पद वह मूल रूप से धारण कर रहा था।

18. तदनुसार अपील आंशिक रूप से उपरोक्त इंगित अनुसार स्वीकृत की जाती है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कास्ट के बाबत कोई आदेश नहीं है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भवानी शंकर पाण्ड्या (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।